रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2000/आश्विन 21, 1922

No. 662] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2000/ASVINA 21, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2000

का. आ. 925(अ).—भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्रतिभूति के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड, मुंबई द्वारा जारी किए जाने वाले कुल 500 करोड़ रुपए मात्र से अनधिक मूल्य के ऋणपत्रों की प्रकृति के निम्न प्रतिभूत मोचनीय बांडों (आई.सी.आई.सी.आई. सेफ्टी बांड—अक्तूबर, 2000) के निर्गम को प्राधिकृत करती है—

1. टैक्स सेविंग बांड ;
2. रेगुलर इन्कम बांड ;
3. मनी मल्टीप्लायर बांड ।

[सं. 6/13/सी.एम./2000]

जी. एस. दत्त, संयुक्त सचिव (एफ. टी. एंड इन्वेस्टमेंट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Market Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2000

S. O. 925(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 20 of the India Trusts Act, 1882 (2 of 1882), the Central Government hereby authorises the secured Redeemable Bonds (ICICI Safety Bonds—October, 2000) in the nature of debentures as—

1. Tax Saving Bond ;
2. Regular Income Bond ;
3. Money Multiplier Bond ;

of the total aggregate value not exceeding rupees five hundred crores only to be issued by the ICICI Ltd., Mumbai, as a security for the purpose of the said section.

[No. 6/13/CM/2000]

G. S. DUTT, Jt. Secy. (FT & Inv.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.